फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत, 19ए, आरएसईबी ऑफिसर्स कॉलोनी, वैशाली नगर, जयपुर

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, राजसमंद
लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा
लोक सूचना अधिकारी, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, राजसमंद

– प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा–अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 87/2022**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 06.02.2023 पत्रावली पेश हुई । अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर सूचना इस कार्यालय की होने से लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, राजसमंद को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया । लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा जरिये पत्रांक एफ.1( )सू.अ.,05/2022/959–960 दिनांक 23.11.2022 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना राजस्व अनुभाग के रेकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं होने से पत्रांक एफ.1( )सू.अ.,05/2022/3304 दिनांक 27.12.2022 अनुसार उद्योग संबंधी पत्रावली जिला उद्योग केन्द्र में संधारित होने से संबंधित विभाग से सूचना प्राप्त की जा सकती है। प्रकरण में जिला उद्योग केन्द्र, राजसमंद को पत्रांकः प.08कोर्ट/अ.सू.अधि.,05/88/22/2022/12 दिनांक 04 जनवरी, 2023 से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने पर महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द, राजसमंद के पत्रांकः एफ( )सामान्य/ 2020–21/1831 दिनांक 6.2.2023 अनुसार पत्रांक 1780 दिनांक 27.01.2023 से मैसर्स लीलावती रिसोर्ट प्रा.लि. की लीज की पत्रावली संबंधी सूचना अपीलार्थी को भिजवाई जा चुकी है। लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, राजसमंद, उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा एवं महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, राजसमंद की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, जिला उद्योग केन्द्र, राजसमंद की रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना मैसर्स लीलावती रिसोर्ट प्रा.लि. संबंधी सूचना अपीलार्थी को भिजवादी जाने से उक्त प्रकरण इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, राजसमंद, उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा एवं महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, राजसमंद को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** **लोक सूचना अपीलीय अधिकारी** **(जिला कलक्टर) राजसमंद**	न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)